



HARYANA SHEHRI VIKAS PRADHIKRAN

PUBLIC NOTICE

Bidders/Allottees of HSVP properties are advised to adhere the time schedule mentioned in the respective Letter of Intent (LOI) for payment of 25% and 75% of the Total Bid, to avoid cancellation. Clarification/Differences if any on any matter may be settled separately.

Dated 16.03.2024

Chief Administrator,
HSVP, Panchkula.

सार्वजनिक नोटिस

एचएसवीपी संपत्तियों के बोलीदाताओं/आवंटियों को सलाह दी जाती है कि ओपन ऑक्शन के माध्यम से जो प्लॉट उन्हें अलॉट किये गए हैं, वह समय पर अपनी बोली के 25 % और 75 % के भुगतान के लिए संबंधित आशय पत्र (एलओआई) में उल्लिखित समय-सारिणी का पालन करें। स्पष्टीकरण/मतभेद, यदि कोई मसला हो तो अलग से निपटाया जा सकता है।

मुख्य प्रशासक,
एचएसवीपी, पंचकुला।